>

Title: Introduction of the Electricity (Priority Supply to Metropolitan Areas) Bill, 2012.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory supply of electricity to metropolitan areas and for matters connected there with.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि महानगरीय क्षेत्रों को विद्युत का अनिवार्य प्रदाय करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : Sir, I introduce the Bill.

सभापति महोदय : क्रम संख्या-37 - श्री जय प्रकाश अग्रवाल ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय, क्रम संख्या 37 के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी नहीं कह सकते हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं बिल पर नहीं बोल रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्शन आपके डिपार्टमेंट से यह है कि हम जो प्राइवेट मेंबर बिल रखते हैं, उनमें हरेक बिल में आप सब्जेक्ट देते हैं, लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसमें विषय नहीं लिखा जाता है, इसकी क्या वजह है? जब हमने संविधान संशोधन विधेयक रखा और हमें विषय का पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप डिपार्टमेंट को निर्देश दें कि वे उसमें विषय के बारे में एक लाइन अवश्य लिखें। आर्डिनरी बिल में आप विषय लिखते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में बिल नहीं लिखते हैं।

सभापति महोदय : इसमें लिखा है - संविधान अनुच्छेद 214 का संशोधन।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : नहीं लिखा है इसमें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): वह संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या?

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य का कहना है कि हम जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हैं, उसमें उसका विषय भी एक लाइन में लिख दिया जाए जिससे सदस्य को मालूम हो कि हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आपका आवेदन आया है, अध्यक्ष महोदया के पास विमर्श के लिए जाएगा।

अब विधेयक पुरःस्थापित कीजिए।

_